

**न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 26/2019 G.C.M.S. No. 2019/00212 दिनांक : 26.05.2019

अपीलार्थी:

1. शंकरलाल राठी पुत्र भैरा, जाति घांभी, उम्र 73 वर्ष, निवासी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

**बनाम**

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 200/2015 बअनवान शंकरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार-

1. श्री जूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. राजकीय अभिभाषक, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

**निर्णय**

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 200/2015 बअनवान शंकरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपनी कब्जाकाश्त आराजी सरहद मौजा नेतरा तहसील सुमेरपुर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 72 रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 74 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 77 रकबा 6.27 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरुद्ध है। चूंकि वादी/अपीलांत द्वारा मुतनाजा आराजी पर उसका कब्जा व काश्त लगातार 50 वर्षों से अधिक समय से होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सिवायचक भूमि के नियमन तथा आवंटन बाबत प्रावधान किए गए हैं, साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत भी खातेदारी अधिकारों

की घोषणा बाबत प्रावधान किए गए हैं तथा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी

के तहत शाश्वत निषेधाज्ञा बाबत प्रावधान किए गए हैं। जिन प्रावधानों के तहत अपीलांत/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया, जिस वाद को दिनांक 16.06.2016 को ग्राम नेतरा में कैम्प कोर्ट में बिना विधि के प्रावधानों की पालना किए बिना तहसीलदार द्वारा जवाबदावा पेश किए ही केवल मात्र आर.आई. की जांच रिपोर्ट के आधार पर और सीपीसी के प्रावधानों के तहत न तो जवाबदावा पेश किए ही केवल मात्र आर.आई. की जांच रिपोर्ट के आधार पर और सीपीसी के प्रावधानों के तहत न तो जवाबदावा रिकॉर्ड पर लिया गया व न ही तनकीयात कायम की गई एवं न ही अपीलांत/वादी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई एवं न ही प्रतिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई एवं बिना तनकीयात कायम किए तथा बिना शहादत लिए एवं बिना बहस सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय मय डिक्री पारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की जानकारी वादी/अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथा वादी/अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई एवं अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी तरफ से अपीलांत/वादी को प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध में पेशियां नोट करवाई जाती रही। दिनांक 23.04.2019 को वादी/अपीलांत न्यायालय परिसर में गया तथा अपने अधिवक्ता से मिला और पेशी के बारे में जानकारी की तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ले जाकर वादी/अपीलांत को दिनांक 16.06.2016 के जैर अपील निर्णय मय डिक्री पारित होने के बारे में प्रथम बार जानकारी दी गई। जिस पर वादी/अपीलांत द्वारा दिनांक 23.04.2019 को नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर नकल दिनांक 25.04.2019 को उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद अपीलांत/वादी जो एक वृद्ध व्यक्ति है, के बीमार होने से हाजा अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।


म्याद के विंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत वादी द्वारा वादग्रस्त राजकीय भूमि में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट सरकार के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध वादी अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.05.2019 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
पल्ली

2. अपीलांत प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की जानकारी वादी/अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथा वादी/अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई एवं अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी तरफ से अपीलांत/वादी को प्रकरण न्यायालय में विचारधीन होने के संबंध में पेशियां नोट करवाई जाती रही। दिनांक 23.04.2019 को वादी/अपीलांत न्यायालय परिसर में गया तथा अपने अधिवक्ता से मिला और पेशी के बारे में जानकारी की तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ले जाकर वादी/अपीलांत को दिनांक 16.06.2016 के जैर अपील निर्णय मय डिक्री पारित होने के बारे में प्रथम बार जानकारी दी गई। जिस पर वादी/अपीलांत द्वारा दिनांक 23.04.2019 को नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर नकल दिनांक 25.04.2019 को उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद अपीलांत/वादी जो एक वृद्ध व्यक्ति है, के बीमार होने से हाजा अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांत अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 को पारित किया गया। दिनांक 16.06.2016 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अंकन अनुसार वादी की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा आदेशिका पर स्वयं वादी के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी दिनांक 16.06.2016 को उपस्थित था तथा वादी अपीलांत की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अपीलांत प्रार्थी का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं एवं दिनांक 23.04.2019 को प्रार्थी वादी के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय परिसर में जाने तथा अधिवक्ता से मिलने पर प्रथम बार जानकारी हुई, का कथन पूर्णतया बनावटी मनगढ़ंत व आधारहीन है। प्रकरण में अपीलांत द्वारा अपील प्रस्तुत करने में लगभग 1050 दिवस का दीर्घ विलंब कारित किया गया है। प्रार्थी अपीलांत द्वारा विलंब के लिए प्रस्तुत कारण सद्भाविक, युक्तियुक्त व समुचित नहीं हैं। साथ ही प्रार्थी द्वारा दिन-प्रतिदिन के विलंब के लिए कोई कारण दर्शित नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांत वादी की लापरवाही व उदासीनता के कारण उक्त दीर्घ विलंब घटित हुआ है। ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफी योग्य नहीं हैं।
4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 पाली

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-in-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 - Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose - No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) - Section 5 & 3 - As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) - Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be

राजस्व अपील प्राधिकारी  
फाल्गुनी

caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

1. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट वादी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 1050 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है, जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादी अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

2. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 1050 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट


राजस्व अपील प्राधिकारी  
पल्ली

परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

### आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड प्रेषित किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
(डॉ० भास्कर विश्णोी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली